दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(25)

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प उज्जैन

PBR/निगरानी/शाजापुर/भू.रा/2018/2080

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

1– कान्तिलाल पिता श्री भंवरलाल, आयु–48 वर्ष

2– धनश्याम पिता भंवरलाल, आयु–44 वर्ष,
दोनो जाति खाती, निवासीगण–ग्राम पोलायकला
तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र.

---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मोहनलाल पिता विजयसिंह, आयु–52 वर्ष

2– देवकरण पिता रामप्रसाद, आयु–44 वर्ष

3– विष्णुप्रसाद पिता माखनसिंह, आयु–44 वर्ष
समस्त निवासीगण–ग्राम पोलायकला, तहसील
शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र.

-------अनावेदकगण

बी.के. गुप्ता एड. 58273/1/24. केम्प उज्जैन पर अभि. बी.के. गुप्ता द्वारा प्रस्तुत DIR 22/3/18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 373/13–14/अपील द्वितीय में पारित आदेश दिनांक 07/09/2017 से दुखित होकर से दुखित होकर ।

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा अवन्तिपुर बड़ोदिया प्रकरण क्रमांक 10–अ–70/12–13 पारित आदेश दिनांक 13/09/2013 ।

अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर प्रकरण क्रमांक 62/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30/06/2014 ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी /शाजापुर/भूरा/18/2080

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री पी0के0गुप्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दि. 7-9-2017 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन में सीमा चिन्ह को आवेदक द्वारा नष्ट किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होकर अवैधानिक कृत्य है । आवेदक का उक्त कृत्य उसकी बदनीयती का द्योतक है । प्रकरण में ऐसे कोई तथ्यों या विधि के प्रश्न नहीं उठाये गये है जिनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य हों। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	